



उ० प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, मेरठ
44वीं वाहिनी, पी०ए०सी० परिसर, हापुड़ रोड, मेरठ।

E-Mail: ecuppan_mrt@yahoo.co.in

(आई.एस.ओ. 9001:2015 CIN-U45201UP19875GC008642 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: 207/अल्पकालीन/गौरी/2023-24

दिनांक: 21/09/2023

अल्पकालीन निविदा सूचना सं० 207/2023-24 (Ist Call)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद बरेली के विभिन्न थानों में महिला वाशरूम/ट्रयायलेट का निर्माण कार्य के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक- 27.09.2023 के समय 05:00 सांय तक आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 28.09.2023 को प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा फार्म का मूल्य (जी०एस०टी० अतिरिक्त) निविदा फार्म के साथ आगणन संलग्न	धरोहर धनराशि (निविदा की लागत का * 2%)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	थाना बिसारत गंज	4.23 लाख	400.00+18%=472.00	8460.00	150 दिन
2.	थाना सिरौली	4.23 लाख	400.00+18%=472.00	8460.00	150 दिन
3.	थाना क्योलडीहा	4.23 लाख	400.00+18%=472.00	8460.00	150 दिन
4.	थाना शीशगढ़	4.23 लाख	400.00+18%=472.00	8460.00	150 दिन
5.	थाना अलीगंज	4.23 लाख	400.00+18%=472.00	8460.00	150 दिन
6.	थाना हाफिज़गंज	4.23 लाख	400.00+18%=472.00	8460.00	150 दिन
7.	थाना फरीदपुर	4.23 लाख	400.00+18%=472.00	8460.00	150 दिन
8.	थाना फतेहगंज	4.26 लाख	400.00+18%=472.00	8520.00	150 दिन

- निविदादाता जी०एस०टी० पंजीयन होना अनिवार्य है। निविदा के साथ विगत एक वर्ष की Income Tax Return की प्रति लागाना आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ PAN, Aadhar, हैसियत, एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना भी अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ EMD की धनराशि की UTR जमा करना होगा, EMD की धनराशि निर्माण इकाई के खाता सं०-26560100001627/IFSC CODE- BARB0SHAMEE (Fifth Character in Zero) बैंक ऑफ बड़ीदा, डी-20, शास्त्रीनगर, मेरठ में RTGS के माध्यम से जमा की जायेगी।
- निविदा फार्म उ० प्र० पुलिस आवास निगम लि०, निर्माण इकाई, मेरठ 44वीं वाहिनी, पी०ए०सी०, परिसर हापुड़ रोड, मेरठ कार्यालय कार्य दिवस में प्रातः समय 10.00 बजे से 05.00 बजे सांय के मध्य दिनांक: 27.09.2023 तक रु० 400.00+18% जी०एस०टी० भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- निविदादाता द्वारा निविदा मुहर बन्द लिफाफा में रखकर जिस पर निविदा सूचना अंकित हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक: 27.09.2023 को सांय समय 05.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निविदा पेटिका में डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तत्पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा में अंकित कार्य के लागत से अधिक की निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित प्रत्येक कार्य की लागत के सापेक्ष प्रतिशत में अलग-अलग अपनी दरें स्पष्ट रूप से अंकित की जानी है। प्रत्येक कार्य की लागत से अधिक अथवा अस्पष्ट अंकित निविदा अथवा सशर्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा। कार्य अलग-अलग हैं, अतः निविदा भी तदानुसार अलग-अलग डालना अनिवार्य है।

Ner

6. निविदाओं को खोलने के उपरान्त मूल्यांकन करते हुए प्रत्येक कार्यवार न्यूनतम निविदा डालने वाले ठेकेदार को सूचित किया जायेगा एवं निविदा की स्वीकृति के उपरान्त एक सप्ताह में 5 प्रतिशत जमानत धनराशि प्रत्येक कार्य की अलग-अलग धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा, यदि जमानत धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर जमा नहीं होगी तो बिना कारण बताये निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए जमानत की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्स डिपॉजिट के रूप में 12 माह के अवधि के लिये ली जायेगी। फिक्स डिपॉजिट उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण इकाई-मेरठ के नाम से बन्धक होना चाहिए। शेष 5 प्रतिशत की धनराशि बीजक से काटी जायेगी। उ० प्र० पुलिस आवास निगम लि० द्वारा धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा।
7. कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध निर्धारित अवधि 15 दिवस के अन्दर कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबन्ध हेतु 100 रु० का स्टाम्प पेपर L-1 के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को निविदा खुलने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।
8. निविदा डालने के लिए निविदा दाता के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को अनुमति नहीं दी जायेगी।
9. आयकर, जी०एस०टी०, टी०डी०एस० आदि की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
10. जी०एस०टी० का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
11. निर्माण कार्य अनुबन्ध में निर्धारित अवधि 150 दिन के भीतर पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से Penalty Impose की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
12. निर्माण कार्य अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में जिस किसी Agency से कार्य कराया जायेगा, कार्य पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय आपके बिल/धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. विद्युतिकरण के कार्यों हेतु निविदादाता द्वारा एक अण्डर टेकिंग देनी होगी "मेरे या फर्म द्वारा विद्युतिकरण के कार्यों को करवाने से पूर्व (क श्रेणी) का विद्युत लाइसेन्स प्राप्त किया जायेगा। अथवा किसी ऐसी फर्म द्वारा कार्य कराया जायेगा जिसके पास (क श्रेणी) का वैध विद्युत लाइसेन्स है"।
15. पेस्ट कंट्रोल/दीमकरोधी कार्यों हेतु निविदादाता द्वारा एक अण्डर टेकिंग देनी होगी "मेरे या फर्म द्वारा पेस्ट कंट्रोल/दीमकरोधी के कार्यों को करवाने से पूर्व वैध लाइसेन्स प्राप्त किया जायेगा। अथवा किसी ऐसी फर्म द्वारा कार्य कराया जायेगा जिसके पास वैध लाइसेन्स है"।
16. निविदादाता द्वारा निविदा पेटिका में डाली गयी निविदा के साथ संलग्न किये अभिलेख तथा UTR प्रपत्र रसीद मूलरूप में अन्य प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रति निर्धारित तिथि तक निर्माण इकाई कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में निविदादाता द्वारा डाली गयी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
17. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर/जमानत धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
18. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध को उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर/जमानत धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
19. निविदादाता/फर्म का जी०एस०टी०, आयकर एवं श्रम विभाग इत्यादि में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। उक्त सभी देयकों से नियमानुसार लेबर सेस, आयकर, रायल्टी एवं अन्य कोई कर जो शासन द्वारा लागू किया जाता है, की नियमानुसार कटौती की जायेगी। फर्म को नियमानुसार जी०एस०टी० अलग से भुगतान किया जायेगा।
20. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है, तो निविदायें अगले कार्यदिवस में पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर खोली जायेगी।







21. शासनादेश के अनुसार डिफैक्ट लायबिलिटी अवधि एक वर्ष होगी। एफ0डी0आर0 के रूप में जमा जमानत धनराशि तत्पश्चात ही अवमुक्त की जायेगी।
22. वारण्टी पीरिड 03 वर्षों का होगा। अवशेष 02 प्रतिशत जमानत धनराशि तत्पश्चात ही अवमुक्त की जायेगी।
23. समस्त कार्य उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग की नवीनतम विशिष्टियों अथवा इन्जीनियर इन्चार्ज के निर्देशानुसार के अनुसार सम्पादित कराये जायेंगे।
24. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकता है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
25. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
26. निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी व अन्य करों के भुगतान का पूर्ण दायित्व सफल निविदा दाता का होगा। सम्बन्धित कर विभाग द्वारा उठायी गयी किसी भी प्रकार की आपत्ति के निराकरण की पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदादाता ठेकेदार की होगी।
27. निविदा दरों में स्कैफोल्डिंग, सैन्टरिंग, शटरिंग अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी, औजार, सामग्री की कार्टेज दरें इत्यादि सम्मिलित हैं।
28. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित करते हुए है।
29. निविदा से सम्बन्धित किसी भी न्यायिक विवाद की दशा में न्यायालय क्षेत्र मेरठ के अधीन होगा।
30. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0. का निर्णय अन्तिम होगा।
31. निर्माण कार्य के सम्पादन के समय इन्जीनियर इंचार्ज को गुणवत्ता की जाँच हेतु सैंपल लेने व उसकी जाँच कराने का अधिकार होगा। सैंपल लेने, भाड़ा व जाँच में आने वाले व्यय को सफल निविदादाता ठेकेदार को वहन करना होगा। ठेकेदार द्वारा इन्जीनियर इंचार्ज द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
32. कार्य सम्पादन में प्रयोग होने वाली सभी T&P इत्यादि की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वयं ही की जायेगी।
33. कार्य सम्पादन में लगने वाले श्रमिकों की रहने, सैनीटेशन व सुरक्षा इत्यादि की सभी व्यवस्थायें नियमानुसार करने का दायित्व ठेकेदार को होगा।
34. निविदादाता द्वारा निविदा में अपने पत्राचार का पूर्ण पता एवं दूरभाष नम्बर अंकित करना अनिवार्य है उक्त पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्रेषित सूचना निविदादाता को प्राप्त मानी जायेगी।
35. यदि निर्माण कार्य की गुणवत्ता जाँच में निम्न स्तर की पायी जाती है तथा निम्न गुणवत्ता या अधिक भुगतान के कारण निगम की हानि होनी पायी जाती है तो उसके लिये ठेकेदार उत्तर दायी होगा। जिसकी वसूली उससे की जायेगी।
36. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैविक आपदा के कारण किसी प्रकार की क्षति हेतु निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और ठेकेदार का कोई कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
37. ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
38. दीमक रोधी एवं वाटर प्रूफिंग के कार्य विशिष्ट प्रवृत्ति के होने के कारण उ0प्र0लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक: 781/कैम्प/मु0अभि0 (भवन)/08/लखनऊ दिनांक: 03.10.2008 द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों का पालन करना फर्म/ठेकेदार द्वारा बाध्यकारी होगा, एवं नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर 10 वर्ष की गारण्टी पत्र निगम के पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
39. कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुलिस विभाग को हस्तगत करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य हस्तगत के उपरान्त ही "डिफैक्ट लाईबिलिटी पीरियड" प्रारम्भ होगा।
40. नियमानुसार जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगा।
41. श्रम विभाग से प्रमाणित लेबर पंजीकरण आदि की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
42. टैण्डर के साथ निम्न विवरणानुसार प्रपत्रों की स्व प्रमाणित प्रति अपलोड करना होगा।
(क). निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि के जमा होने की पुष्टि हेतु यू0टी0आर0।

(ख.) चरित्र प्रमाण पत्र।

(ग.) हैसियत प्रमाण पत्र। पार्टनरशीप फर्म की दशा में फर्म की हैसियत एवं पार्टनरशीप डीड।

(घ.) न्यायालय में मुकदमेबाजी की सूचना (यदि कोई लागू हो)

(ड.) जी0एस0टी0/पैन कार्ड की प्रति।

(च.) पुलिस आवास निगम में रजिस्ट्रेशन की प्रति।

43. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार जोकि अनुबन्ध का भाग है, के अनुसार पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित अभियन्ताओं की आख्या/संस्तुति के आधार पर निम्नवत् भुगतान किया जायेगा।

(1) स्लैब का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 25 प्रतिशत।


(2) सेप्टिक टैंक, सोकपिट, सबमरसेबिल पम्प बोरिंग, सेनेटरी के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।

(3) रंगाई-पुताई, पल्ले आदि पूर्ण रूप से कार्य समाप्त होने पर इन्वेन्ट्री प्रेषित के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 30 प्रतिशत।

(4) पुलिस विभाग को हस्तगत के पश्चात् अनुबन्धित धनराशि का - 15 प्रतिशत।

44. जमानत की धनराशि कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।


45. बीजक से काटी गयी 5 प्रतिशत प्रतिभूति भवन हस्तगत के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जाएगी।


(तिलक राज)
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परियोजना प्रबन्ध), उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, मुख्यालय, लखनऊ, महोदय को सादर सूचनार्थ।

2. नोटिस बोर्ड हेतु।


(तिलक राज)
इकाई प्रभारी